

पत्रांक-1/ब0 1-10/2025-.....233...../  
बिहार सरकार  
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,  
भोजपुर/रोहतास/गया/जहानाबाद/नवादा/गोपालगंज/  
भागलपुर/किशनगंज/अररिया/मुंगेर/कटिहार।

पटना दिनांक.....20/02/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

कला एवं संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के वेतनादि के भुगतान के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन और प्रशासन-0001-कला और संस्कृति का संवर्धन," विपत्र कोड 08-2205000010001, के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में संलग्न विवरणी के अनुसार तत्काल कुल राशि ₹ 5,42,800/- (पाँच लाख बयालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 227/वि0, दि0 28.03.2025 एवं 235/वि0 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा राशि का व्यय बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार खरीद अधिमानता नीति के संगत प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

4 शहरी परिवहन भत्ता की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043 दिनांक 11.10.2017 के आलोक में की जायेगी।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक.....20/02/2026

ज्ञापांक.....233...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर/रोहतास/गया/जहानाबाद/नवादा/गोपालगंज/भागलपुर/किशनगंज/अररिया/मुंगेर/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक.....20/02/2026

ज्ञापांक.....233...../

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मकर बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।